न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

पीठासीन अधिकारी – **करूणा शर्मा आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या – 17/2015
(प्राथमिकी संख्या 146/13 पीएस सरदारपुरा)
CIS Number :- 25/2015
CNR Number :- RJJR02-000245-2013

राजस्थान राज्य

अभियोगी

बनाम

1. विशाल उर्फ बिट्टू पुत्र प्रकाश, **(मफरूर)**
2. राजकुमार उर्फ राजसा पुत्र मगतराम, **(मफरूर)**
3. राहुल पुत्र राजेश,
   निवासीगण नवलनगर, हरिजन बस्ती, जोधपुर।
4. विश्वास उर्फ सिक्कू पुत्र किशनलाल,
5. विशाल उर्फ विक्की पुत्र ब्रिजेश, **(फौत)**
   निवासीगण पंचोलिया नाडी हरिजन बस्ती प्रतापनगर, जोधपुर।

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 341, 323/149, 325/149, 427/149 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–
1. विद्वान् अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
2. विद्वान् अधिवक्ता श्री मनीष पंवार – परिवादी पक्ष की ओर से।
3. विद्वान् अधिवक्ता श्री राहुल कुमार – अभियुक्तगण की ओर से।

: : निर्णय : :

दिनांकः 12.08.2025

1. यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Gen/TRC/28/2014 दिनांक 19.08.2014 की पालना में न्यायालय सी.एम.एम., जोधपुर महानगर/ए.सी.एम.एम., संख्या–1 जोधपुर महानगर के न्यायालय से नियमानुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अरूण ने दिनांक 17.06.2013 को पुलिस थाना सरदारपुरा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.06.2013 को वक्त करीब 04:30 बजे यह अपने दोस्त रोहित व कालू के साथ रोहित की गाड़ी अल्टो कार नंबर आरजे19–सीडी–0767 से फन एण्ड फूड रेस्टोरेंट, सरदारपुरा पर खाना लेने गए थे। यह गाड़ी के अंदर बैठा था तथा रोहित गाड़ी चला रहा था। होटल के बाहर विशाल पंडित पुत्र नंदकिशोर, अजय पुत्र ब्रिजेश, विक्की पुत्र ब्रिजेश, सन्नी हंस पुत्र राकेश, राजकुमार पंडित, कर्ण पंडित, राजेश पंडित, बिट्टू, राज

बारासा, टिपु पुत्र किशन तेजी तथा सिक्कु पुत्र किशन तेजी हाथों में तलवार, पाइप, बेस बॉल बल्ला लेकर मोटरसाइकिल पर आए और आते ही अजय ने बेसबॉल के बल्ले की चोट गाड़ी के शीशों पर मारी, जिससे शीशे टूटकर आंखों में चले गए तथा इसके साथ बेसबॉल बल्ले से मारपीट की, जिससे इसके सिर में चोट लगी। सन्नी और विशाल ने इसे उतारकर लात–घुसों से मारपीट की। रोहित और कालू हल्ला मचाने लगे तो ये लोग मारपीट कर भाग गए। वरना तलवार आदि हथियारों से जान से खत्म कर देते। पुरानी रंजिश को रखते हुए मारपीट की वगैरह। उक्त तथ्यों की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2013 पुलिस थाना सरदारपुरा में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ राजसा, राहुल, विश्वास उर्फ सिक्कू, विशाल उर्फ बिट्टू एवं विशाल उर्फ विक्की के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 427 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण विश्वास व राहुल को धारा 147, 148, 341, 323/149, 325/149, 427/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 अरूण बाराशर, पीडब्ल्यू–2 अजय, पीडब्ल्यू–3 रोहित सिंह की साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 घटना की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 नक्शा व हालात मौका, प्रदर्श पी–3 चोट प्रतिवेदन अरूण, प्रदर्श पी–4 पुलिस बयान अरूण, प्रदर्श पी–5 पुलिस बयान अजय उर्फ कालू, प्रदर्श पी–6 पुलिस बयान रोहित, प्रदर्श पी–7 चोट प्रतिवेदन रोहित, प्रदर्श पी–8 फर्द सुपुर्दगी अल्टो कार को प्रदर्शित करवाया।

5. प्रकरण में परिवादी अरूण, मुस्तगीस रोहित व अजय ने अभियुक्तगण के साथ दिनांक 10.07.2025 व 18.07.2025 को लोक अदालत की भावना से बाद अनुमति अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 427 भादस में राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद जांच तस्दीक किया। पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हो जाने से अभियोजन की शेष साक्ष्य बंद की गई।

6. अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित करने हेतु पत्रावली का अवलोकन किया तो प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने तथा परिवादी पक्ष के पक्षद्रोही घोषित होने के कारण बयान मुलजिम बनना नहीं पाया गया।

7. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्तगण

के विरुद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का कथन किया गया।

विद्वान् अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्तगण राहुल व विश्वास उर्फ सिक्कू ने कथन किया कि आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 341, 323/149, 325/149, 427/149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर मौजूद किसी भी गवाह ने अभियुक्तगण के विरुद्ध लेश मात्र भी कथन नहीं किए हैं। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हुए विपरीत कथन करते हुए पक्षद्रोही घोषित हुए। स्वयं परिवादी अरूण व आहत रोहित पक्षद्रोही घोषित हुए तथा मारपीट करने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी होने से इंकार किया। इस प्रकार मुलजिमान के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपित अपराधों को साबित किए जाने के लिए मुलजिमान के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। अंत में अधिवक्ता मुलजिमान ने मुलजिमान राहुल व विश्वास उर्फ सिक्कू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 325, 427 भारतीय दण्ड संहिता में जरिए राजीनामा तथा धारा 147, 148, 149, 341 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अद्योपांत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ अवधार्य प्रश्न इस प्रकार है कि :–

(1) ''आया अभियुक्तगण ने दिनांक 17.06.2013 को वक्त करीब 04:30 बजे या उसके लगभग वाके स्थान सरदारपुरा फन एण्ड फूड रेस्टोरेंट के बाहर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए बल/हिंसा का प्रयोग कर घातक आयुद्ध तलवार से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया तथा परिवादी पक्ष अरूण, रोहित व कालू के आड़े फिरकर उन्हें रोककर स्वैच्छया सदोष अवरोध कारित कर तथा उनके साथ कुंदालय हथियार से मारपीट कर साधारण व घोर उपहति कारित की तथा अल्टो कार नंबर आरजे19–सीडी–0767 का कांच क्षतिग्रस्त कर परिवादी अरूण के दोस्त मजरूब रोहित को 50/–रुपये से अधिका का नुकसान कारित कर रिष्टि का अपराध कारित किया?''

(2) यदि हां तो अभियुक्तगण की उपयुक्त सजा क्या हो?

9. उभयपक्षों द्वारा अग्रेषित तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवधार्य प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य निम्न प्रकार से हैः–

10. गवाह पी.डब्ल्यू.–1 अरूण बारासर, पीडब्ल्यू–2 अजय व पीडब्ल्यू–3 रोहित सिंह ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2013 को दोपहर के समय की बात है। यह सभी फन एण्ड फूड रेस्टोरेंट सरदारपुरा जा रहे थे। गाड़ी रोहित चला रहा था। जैसे ही ये लोग होटल के पास पहुंचे तो अज्ञात हमलावर ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमला अचानक हुआ इसलिए ये लोग नहीं बता सकते कि मारपीट करने वाले व्यक्ति कौन थे। इन्होंने हो–हल्ला मचाया तो वो लोग भाग गए।

अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रकार है कि परिवादी अरूण बारासर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2013 को दोपहर के समय यह अपने दोस्त रोहित व अजय उर्फ कालू के साथ फन एण्ड फूड रेस्टोरेंट सरदारपुरा जा रहा था। गाड़ी रोहित चला रहा था। जैसे ही ये लोग होटल के पास पहुंचे तो अज्ञात हमलावर ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमला अचानक हुआ इसलिए यह नहीं बता सकता कि मारपीट करने वाले व्यक्ति कौन थे। इन्होंने हो–हल्ला मचाया तो वो लोग भाग गए। इस प्रकार परिवादी अरूण बारासर ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत कथन अपनी साक्ष्य में किए तथा मारपीट करने वालों के संबंध में जानकारी होने से इंकार किया। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने मुलजिमान राजकुमार उर्फ राजसा, राहुल, विश्वास उर्फ सिक्कु, विशाल उर्फ बिट्टु, विशाल उर्फ विक्की के साथ राजीनामा होना स्वीकार किया।

12. पत्रावली पर मौजूद अन्य गवाह पीडब्ल्यू–3 रोहित सिंह जिसके मारपीट में चोटें आने का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है तथा गवाह पीडब्ल्यू–2 अजय वक्त घटना मौके पर उपस्थित होने बताया गया है। उक्त दोनों ही गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए। उक्त गवाहों ने भी मारपीट करने वाले व्यक्ति की जानकारी होने के संबंध में अनभिज्ञता जताई। मुलजिमान के साथ राजीनामा होना स्वीकार किया।

13. प्रकरण में परिवादीगण अरूण, रोहित व अजय ने अभियुक्तगण के साथ दिनांक 10.07.2025 व 18.07.2025 को लोक अदालत की भावना से बाद अनुमति अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 427 भादस में राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद जांच तस्दीक किया। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी अरूण व मजरूबान अजय व रोहित पक्षद्रोही घोषित हुए, जिन्होंने घटना की ताईद नहीं की तथा मुलजिमान के साथ राजीनामा होना स्वीकार किया। 1996(3) क्राईमस एससी पेज संख्या 85 सतीश मेहरा बनाम दिल्ली

प्रशासन में व्यवस्था दी जब न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट हो जाये कि प्रकरण में दोषसिद्धी की संभावना शेष नहीं है। न्यायालय का महत्वपूर्ण समय केवल औपचारिकता पूर्ण करने के उद्देश्य में बर्बाद नहीं होना चाहिए और प्रकरण को तुरंत निर्णीत कर देना चाहिए। अतः उक्त गवाहान व साक्ष्य के अलावा अन्य कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना जा सके।

14. लिहाजा उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 17.06.2013 को वक्त करीब 04:30 बजे या उसके लगभग वाके स्थान सरदारपुरा फन एण्ड फूड रेस्टोरेंट के बाहर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए बल/हिंसा का प्रयोग कर घातक आयुद्ध तलवार से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया तथा परिवादी पक्ष अरूण, रोहित व कालू के आड़े फिरकर उन्हें रोककर स्वैच्छया सदोष अवरोध कारित कर तथा उनके साथ कुंदालय हथियार से मारपीट कर साधारण व घोर उपहति कारित की तथा अल्टो कार नंबर आरजे19–सीडी–0767 का कांच क्षतिग्रस्त कर परिवादी अरूण के दोस्त मजरूब रोहित को 50/–रुपये से अधिका का नुकसान कारित कर रिष्टि का अपराध कारित किया अतः अभियुक्तगण राहुल व विश्वास उर्फ सिक्कू को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 427 भारतीय दण्ड संहिता में जरिए राजीनामा तथा धारा 147, 148, 149, 341 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:–आदेश–:

15. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण राहुल पुत्र राजेश व विश्वास उर्फ सिक्कू पुत्र किशनलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 427 भारतीय दण्ड संहिता में जरिए राजीनामा तथा धारा 147, 148, 149, 341 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(करूणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला

16 निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला